THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) The National Saving Scheme, 92 under which tax concessions under Section 88 and 80-L of income Tax Act, 1961 are available, carries attractive interest @ 11% per annum on its deposits. The Scheme is quite popular among the investors, and is running smoothly. The Govemment have not received any complaints regarding the Scheme from any quarter. However, the steps taken by the Govemment to make fhe Scheme more attractive include attractive returns, extension of tax-concessions, wide publicity and incentives to Agents.

अहमदाबाद स्थित बैंक ऑ बड़ौदा में कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण मानदण्ड

304. **श्री चीमनभाई हरी भाई शुक्ला :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) अहमदाबद स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत अधिकारियों और शाखा प्रबंधकों के स्थानांतरण के संबंध में निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) इसी शहर में पिछले 15-20 वर्षों से तैनात/कार्यरत अधिकारियों और शाखा प्रबंधकों की संख्या कितनी हैं और उनकी तैनाती के क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसे अधिकारियों तथा शाखा प्रबंधकों को किन-किन प्राधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हैं;

(घ) क्या बैंक् आफ बड़ौदा के अध्यक्ष ने इन अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए कोई प्रयास न करने से साफ तौर पर इन्कार कर दिया हैं;

(ड़) क्या सरकार ने ऐसे अधिकारियों का तत्काल स्थानांतरण करने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया हैं कि अंचल के अंद अहमदाबाद शहर से अन्य केन्द्रो में अ धिकारियों का स्थानांतरण शहर में सर्वाधिक लम्बी तैनाती के आधार पर किया जाता हैं । बैंक ने सूचित किया हैं कि उसने कुछ अधिकारियों को प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के ध्यान में रखकर अनुकम्पा के आधार पर छूट प्रदान की हैं जैसे शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, गम्भीर चिमित्सीय समस्या ग्रस्त व्यक्ति, गम्भीर चिकित्सीय समस्या ग्रस्त व्यक्ति या महिला अधिकारी का होना । अहमदाबाद शहर में विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में 15 वर्षों से अधिक समय से 15 ऐसे अधिकारी जिनमें 10 महिला अधिकारी शामिल हैं कार्यरत हैं । बैंक ने किया हैं कि अंचल के अंदर स्थानांतरण करने वह अंचल प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी हैं । बैंक ने इस भी इंकार किया हैं कि वह किसी अधिकारी को अहम शहर के बाहर स्थानांतरण करने से बचा रहा हैं ।

News-item regarding loss to investor Market

305. SHRI O.P. KOHLI: Will the Mi of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention ha: drawn to the news-item captioned "Inv loss Rs. 4,000 crore in market: study" appe in the Times of India dated 3rd January,

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the reaction of Govemment theret

THE MINISTER OF FINANCE (SF CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) According to the study re to in the News item, investors in the pr market during the period April 1994-N 1996 have suffered substantial loss account of decline in the prices of sha compared to the issue price and the pri listing of stock exchanges. The stud attributed the losses to the investors misuse of the primary market by the I: taking advantage of the absence of cont pricing of issues. The Securities and Exc Board of India (SEBI) has issued on 11th 1992 Guidelines for Disclosure and In Protection which are to be observi companies making issue of capital. ' Guidelines have been amended from ti time by SEBI in order to ensure gi transparency in offer documents ar protecting the interests of the investors primary market. SEBI is keeping a close on the functioning of both the primar secondary markets for securities and ha taking measures from time to time und provisions of the SEBI Act, Rule Regulations, for promoting the oi development of the market, for previ malpractices and for safeguarding the ii of the investors.